भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **664**
दिनांक 4 फरवरी , 2021 / 15 माघ, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एअर इंडिया का विनिवेश

664. श्री मनीश तिवारी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) एयर इंडिया के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक आमंत्रण का ब्यौरा क्या है और 27 जनवरी 2020 को सरकार द्वारा जारी एयर इंडिया के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर की बिक्री का ब्यौरा क्या है;
(ख) 27 जनवरी 2020 को जारी किए गए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) में ग्यारह शुद्धिपत्र और स्पष्टीकरणों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त शुद्धिपत्र और स्पष्टीकरण के लिए तर्क क्या है;
(ग) क्या ग्यारहवें शुद्धिपत्र के अनुसार लेन-देन सलाहकार को सार्वजनिक रूप से अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीकर्ताओं (क्यूआईबी) के विवरण का खुलासा करने से मना किया जाता है जिन्होंने रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के संबंध में प्रतिक्रिया की है और ईओआई के मूल्यांकन में मंजूरी दी है और यदि हां, तो इसके लिए औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) ईओआई को प्रतिक्रिया देने वाले और क्यूआईबी के रूप में शॉर्टलिस्ट किए गए दलों/कंपनियों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और
(ङ) संबंधित बोलियों सहित ब्यौरा/प्रतियां क्या हैं और क्यूआईबी घोषित न करने वालों को अयोग्य किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एअर इंडिया में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के साथ-साथ एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% शेयरधारिता और एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (SATS) में 50% शेयरधारिता की कार्यनीतिक विनिवेश के लिए रूचि अभिव्यक्ति का प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) दिनांक 27.1.2020 को जारी किया गया था। प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.civilaviation.gov.in) पर उपलब्ध है। COVID-19 महामारी के कारण, ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि को समय-समय पर बढ़ाया गया था। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 14.12.2020 थी, जो अब खत्म हो गई है।
(ख) कारणों सहित ग्यारह शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल थे: स्पष्टीकरण, कोविड -19 महामारी आदि के कारण ईओआई तिथियों का विस्तार। नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.civilaviation.gov.in) पर जारी किए जाने के कारणों के साथ-साथ ग्यारह शुद्धिपत्र उपलब्ध है;
(ग) से (ङ°) विनिवेश की प्रक्रिया के अनुसार, किसी समूह या संस्था द्वारा पीआईएम के उत्तर में रुचि की अभिव्यक्ति को संव्यवहार सलाहकार को प्रस्तुत किया जाना था। इस संबंध में जारी किए गए ग्यारहवें शुद्धिपत्र के अनुसार, प्राप्त ईओआई के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, संव्यवहार सलाहकार सीधे उनकी योग्यता और प्रस्तावित संव्यवहार के अगले चरणों के संबंध में अर्हताप्राप्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित करेगा।

*****